न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रैणी जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति स्नेहलता हारीत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र सख्या : 1/239

तारीख दायरा : 08.05.2018

1. रामदयाल पुत्र श्री मूलचन्द जाति ब्राह्मण निवासी खेडामिर्जापुर तहसील रैणी, जिला–अलवर। .....वादी।

बनाम

1. चन्दा बेवा प्रभाती जाति ब्राहमण् निवासी खेडामिर्जापुर तह0 रैणी, जिला अलवर।
2. विशम्बर पुत्र प्रभाती जाति ब्राहमण् निवासी खेडामिर्जापुर तह0 रैणी,जिला अलवर।
3. मुकेश पुत्र प्रभाती जाति ब्राहमण् निवासी खेडामिर्जापुर तह0 रैणी, जिला अलवर।
4. दिनेश पुत्र प्रभाती जाति ब्राहमण् निवासी खेडामिर्जापुर तह0 रैणी, जिला अलवर।

.....प्रतिवादीगण।

(दावा इस्तकराहक व हुक्मइन्तनाई दवामी)

न्यायालय द्वारा

:: निर्णय :: दिनांकः 18-12-20

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी हाल खं0 न0 1013/0.06, 1020/0.20,1011/0.02 1012/0.69 वाके ग्राम डगडगा तह0 रैणी में स्थित है जिस पर वादी खातेदार काश्तकार है काबिज है। विवादित आराजीयात वादी की नानी हट्टी के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी थी जिसकें कोई लड़का नहीं था। विवादित आराजी पर वादी काबिज होकर काश्त करता चला जा रहा है व मौके पर आज भी कब्जा काश्त है। वादी अपनी नानी हट्टी देवी के पास रहता था और जब नानी वृद्ध हो गई तो वादी अपनी नानी को अपने गांव खेडा मिर्जापुर ले गया और उसकी समस्त सेवाश्रसुता वादी ने की और मरते दम तक हट्टी देवी वादी के पास रही और उसकी मृत्यु भी वादी के पास ग्रम खेडामिर्जापुर में हुई। वादी की नानी हट्टी देवी ने भविष्य में कोई विवाद न हो इसलिए वादी के नाम से समस्त चल व अचल सम्पत्ति व आराजीयात को जर्ये रजिस्टर्ड वसियत सन् 1965 में वादी के नाम कर दी और वादी की नानी के फोत होने के बाद वादी कानूनन खातेदार काश्तकार हो गया। वादी का पिता मूलचन्द भी वादी के पास रहता था।

Scanned with CamScanner

ग्राम डगडगा का बन्दोबस्त सम्वत 2020 में हुआ तो यह आराजीयात गलती से वादी के पिता मूलचन्द के नाम बन्दोबस्त विभाग से हो गई जबकि बन्दोबस्त विभाग को कोई अधिकार नहीं था कि वह वादी के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी को उसके पिता मूलचन्द के नाम दर्ज करें। इसके उपरान्त गलत इन्द्राज के आधार पर आराजीयात मूलचन्द की विरासत उसके वारिसान के नाम हो गई जो कानूनन दुरूस्त होने योग्य है। वादी का भाई बाबूलाल ने तो वादी के हक में हकत्याग कर दिया। मगर वादी के भाई प्रभाती के वारिसान इस गलत इन्द्राज को सही कराने से इन्कार कर रहे है। अन्त में निवेदन किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 1011/0.02, ख.न. 1012/ 0.69, ख.न. 103/0.06, ख.न. 1020/0.20, वाके ग्राम डगडगा तह0 रैणी अलवर डिक्री किया जावे व प्रतिवादीगण के गलत इन्द्राज को हजफ किया जाकर कलमजन किया जाकर सालिम आराजीयात का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक तामील के न्यायालय में उपस्थित होने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई जो अभी निरन्तर है। वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में स्वंय वादी रामदयाल,पी.ड.1, सावलराम पी.ड. 2, एवं मंगतीलाल पी.ड.3 के शपथ पत्र पेश किये गये।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस सुनी। योग्य अधिवक्ता वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

वादी का मुख्य कथन है कि विवादित आराजी उसकी नानी हट्टी के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि थी। वादी ने उसकी नानी के देखभाल व सेवा की तथा हट्टी द्वारा अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति की वसीयत वादी के हक में रजिस्टर्ड रूप से निष्पादित कि गई थी। वादी ने अपने इस कथन के समर्थन में राजस्व अभिलेख जमाबन्दी स. 2011 पेश की गई जिसके अनुसार साबिक ख.न.650 रकबा 17 बिस्वा, 645 रकबा 3 बीधा 2 बिस्वा वादी की नानी हट्टी के नाम दर्ज रेकार्ड है। साबिक आराजी ख.न. 638 मिन रकबा 2 बिस्वा, 650मिन रकबा 15 बिस्वा से हाल ख.न. 804 रकबा 17 बिस्वा एवं साबिक ख.न. 645 रकबा 3 बीधा 2 बिस्वा से हाल ख.न.811 रकबा 3 बीधा 2 बिस्वा बना है। तत्पश्चात् स.2026 में साबिक ख.न. 804 रकबा 17 बिस्वा से हाल ख.न. 1020 रकबा 20 बिस्वा एवं साबिक ख.न. 811 रकबा 3 बीधा 2 बिस्वा से हाल ख.न. 1011 रकबा 0.02 है,1012 रकबा 0.69 है0, 1013 रकबा 0.06 है0 बनना प्रमाणित है।

Scanned with CamScanner

नकल जमाबन्दी स. 2021 के अनुसार खसरा नम्बर 804 रकबा 17 बिस्वा एवं 811 रकबा 3 बीधा 2 बिस्वा मूलचन्द पुत्र भहरू ब्राहमण साकिन खेडा मिर्जापुर खातेदार का अकंन दर्ज है। जमाबन्दी स. 2075 के अनुसार हाल आराजी ख.न. 1011, 1012, 1013, 1020,1563 पर चन्दा बेवा प्रभाती 2/15 हि0 विशम्बर मुकेश दिनेश पि0 प्रभाती 1/5 हिस्सा रामदयाल पुत्र मूलचन्द 2/3 हि0 जाति ब्राहमण साकिन खेडा मिर्जापुर खातेदार का अकंन दर्ज है।

उपरोक्त राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से यह तथ्य साबित होता है कि विवादित आराजी हट्टी की खातेदारी की भूमि थी जो वादी की नानी थी। तत्पश्चात् दौराने बन्दोबस्त स.2020 में यह भूमि वादी के पिता मूलचन्द पुत्र भहरू ब्राहम्मण के नाम विरासत में दर्ज हुई है। जबकि रजिस्टर्ड वसीयत 1965 के अनुसार वादी की नानी हट्टी द्वारा अपनी चल–अचल सम्पत्ति की वसीयत वादी को निष्पादित की जा चुकी थी जिसके आधार पर हट्टी का विधिक उत्तराधिकारी वादी होने के कारण उसकी सम्पत्ति प्राप्त करने का अधिकारी है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार जो इन्द्राज दर्ज है उसमें वादी 2/3 हिस्से का खातेदार है तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। वादी का कथन है कि उसके भाई बाबूलाल द्वारा वादी के हक में हकत्याग कर दिया है। इसलिए वह 2/3 भाग का खातेदार दर्ज चला आ रहा है। वादी द्वारा मौखिक साक्ष्य में प्रस्तुत शपथ पत्रों से भी वादी के वाद पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद होती है। प्रतिवादीगण के बावजूद सम्यक तामील के न्यायालय उपस्थित नहीं होने से यही उपधाराणा की जावेगी कि प्रतिवादीगण की ओर से भी वादी के कथनों का कोई प्रतिरोध नहीं है।

उपरोक्त समग्र विवेचन व साबिक राजस्व रिकार्ड एवं वसीयतनामा के आधार पर वादी अपने वाद पत्र को साबित करने सफल रहा है। मुताबिक रजिस्टर्ड वसीयतनामा वादी अपनी नानी हट्टी का विधिक वारिस होने के नाते हट्टी की आराजी प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः दावा वादी डिक्री योग्य पाया जाता है।

आदेश

दावा वादी डिक्री किया जाता है तथा आराजी ख.न. 1011 रकबा 0.02 है0,ख.न. 1012 रकबा 0.69 है0, ख.न. 1013 रकबा 0.06 है0, ख.न. 1020 रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम डगडगा में से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन किया जाता है एवं वादी को उपरोक्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार रैणी जिला अलवर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

(स्नेहलता हारीत)

आर.ए.एस.

Scanned with CamScanner